प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 10.05.2026**

थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाली 02 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्ताओं के कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण, 1740 रुपये नकद, 02 चाबियां, 01 ब्लेड़, 01 बड़ी सेफ्टी पिन, 01 आधार कार्ड बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 09.05.2026 को थाना भोगनीपुर पर वादिनी श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री भूरा सिंह निवासिनी ग्राम दौलतपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 09.05.2026 को मैं अपने पति के साथ ऑटो से मूसानगर से भोगनीपुर आ रही थी, तभी रास्ते में दो महिलायें नाम पता अज्ञात ऑटो में बैठी तथा उनके साथ एक बच्चा भी था। उनमें से एक महिला ने भोगनीपुर कस्बे के पास मूसानगर रोड पर बने नये ओवर ब्रिज के आगे SBI बैंक के पास मेरे छोटे बच्चे को गोदी में लेने को मुझसे कहा तो उनमें से एक अन्य महिला ने अपना पर्स मेरे के पर्स के ऊपर रख दिया, जब मुझे शंका हुई तो थोडी देर में मैंने देखा कि मेरा पर्स बगल में बैठी एक महिला के पास था। मैंने उस महिला से अपना पर्स वापस ले लिया तथा जब घर जाकर देखा मैने पर्स देखा तो पर्स में रखी एक पन्नी में एक छोटा पर्स था, जिसमें मेरी 02 जोडी पायल (तोडियां) चांदी की व बिछिया चांदी के और उसी छोटे पर्स में मेरा आधार काड़ पन्नी समेत सामान चोरी कर लिया गया है, के संबंध में मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग बनाम 02 महिलायें नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 10.05.2026 चोरी की घटना से संबंधित साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आयी 02 अभियुक्ता 1. सुधा पत्नी राजकुमार कंजड उम्र करीब 30 वर्ष निवासिनी फरुखनगर जनपद गुड़गांव राज्य हरियाणा 2. पूजा पत्नी सुमित कंजड उम्र करीब 20 वर्ष निवीसिनी फरुखनगर जनपद गुडगांव राज्य हरियाणा को भोगनीपुर चौराहे से 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 जोडी बिछिया (सफेद धातु), 01 नाक की कील (पीली धातु), 1740 रु0 नकद, 01 ब्लेड, 02 छोटे ताले की चाबियां, 01 आधार कार्ड (उर्मिला नाम का) व 01 बडी सेफ्टी पिन के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्ताओं के पास से माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ- पूछताछ में अभियुक्ताओं ने बताया कि हम लोग हरियाणा से आये हैं और यहां पर सवारी गाडियों में बैठकर उनमें बैठी महिलाओं को बातों में लगाकर उनके जेवर व पर्स आदि को चुरा लेते हैं तथा गाड़ी से उतरकर दूसरी सवारी गाडी में बैठ जाते हैं। यह काम हम लोग अलग-अलग जगहों में करते हैं और रात को झोपड-पट्टियों में रूक जाते हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं का विवरण–

1. सुधा पत्नी राजकुमार कंजड उम्र करीब 30 वर्ष निवासिनी फरुखनगर जनपद गुड़गांव राज्य हरियाणा

2. पूजा पत्नी सुमित कंजड उम्र करीब 20 वर्ष निवीसिनी फरुखनगर जनपद गुडगांव राज्य हरियाणा

बरामदगी---

1. 02 जोडी पायल (सफेद धातु)
2. 02 जोडी बिछिया (सफेद धातु)
3. 01 अदद नाक की कील (पीली धातु)
4. 1740 रु0 नकद
5. 01 ब्लेड
6. 02 छोटे ताले की चाबियां
7. 01 आधार कार्ड उर्मिला नाम का
8. 01 बडी सेफ्टी पिन

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह
2. म0उ0नि0 सुमन दीक्षित
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार रंजन
4. हे0कां0 608 राजीव कुमार
5. म0रि0कां0 प्रिया यादव